बिल का संक्षिप्त विश्लेषण

नागरिकता (संशोधन) बिल, 2016

बिल को 19 जुलाई, 2016 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और 12 अगस्त, 2016 को ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमिटी में रेफर किया गया था। 2016 के शीत सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन इस रिपोर्ट के आने की संभावना है।

हाल के संक्षिप्त विश्लेषण:

कंपनी (संशोधन) बिल, 2016
27 सितंबर, 2016

अन्विति चतुर्वेदी
anviti@prsindia.org

27 सितंबर, 2016

बिल की मुख्य विशेषताएं

- यह बिल नागरिकता एक्ट, 1955 में संशोधन करता है ताकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को नागरिकता की पात्रता प्रदान की जा सके।
- एक्ट के तहत देशीयकरण (नैचुरलाइजेशन) द्वारा नागरिकता हासिल करने के लिए एक शर्त यह है कि आवेदनकर्ता आवेदन करने से 12 महीने पहले से भारत में रह रहा हो और उससे पहले 14 वर्षों में से 11 वर्ष उसने भारत में बिताए हों। बिल इन तीन देशों के छह धर्मों के व्यक्तियों के लिए 11 वर्षों की इस शर्त को छह वर्ष करता है।
- बिल कहता है कि अगर भारत की विदेशी नागरिकता (ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया-ओसीआई) वाले कार्डहोल्डर किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

- बिल धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों को नागरिकता की पात्रता देता है। इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो सकता है जोकि समानता के अधिकार की गारंटी देता है।
- बिल किसी भी कानून का उल्लंघन करने की स्थिति में ओसीआई पंजीकरण को रद्द करने की अनुमति देता है। यह एक विस्तृत आधार है जिसके तहत अनेक प्रकार के उल्लंघन आ सकते हैं। इसमें मामूली अपराध भी शामिल किए जा सकते हैं (जैसे नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करना)।

भाग क : बिल की प्रमुख बातें

संदर्भ

नागरिकता एक्ट, 1955 यह रेगुलेट करता है कि कौन भारतीय नागरिकता हासिल कर सकता है और किस आधार पर। एक व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है, अगर उसने भारत में जन्म लिया हो या उसके माता-पिता भारतीय हों या एक निश्चित अवधि से वह भारत में रह रहा हो, इत्यादि। हालांकि अवैध प्रवासियों द्वारा भारतीय नागरिकता हासिल करना प्रतिबंधित है। एक अवैध प्रवासी वह विदेशी है जो : (i) वैध यात्रा दस्तावेजों, जैसे पासपोर्ट और वीजा के बिना देश में प्रवेश करता है, या (ii) वैध दस्तावेजों के साथ देश में प्रवेश करता है लेकिन अनुमत समयावधि के बाद भी देश में रुका रहता है।[1]

अवैध प्रवासियों को विदेशी एक्ट, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) एक्ट, 1920 के तहत कारावास दिया जा सकता है या निर्वासित किया जा सकता है। 1946 और 1920 के एक्ट केंद्र सरकार को भारत में विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करते हैं। 2015 और 2016 में केंद्र सरकार ने दो अधिसूचनाएं जारी करके अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 के एक्ट्स के प्रावधानों से छूट प्रदान की।[2] ये समूह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं जिन्होंने भारत में 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले प्रवेश किया है।[2] इसका अर्थ यह है कि अवैध प्रवासियों के इन समूहों को वैध दस्तावेजों के बिना भी भारत में रहने के लिए निर्वासित नहीं किया जाएगा या कारावास नहीं भेजा जाएगा। नागरिकता एक्ट, 1955 में संशोधन करने के लिए 19 जुलाई, 2016 को नागरिकता (संशोधन) बिल, 2016 लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल उन्हीं छह धर्मों और तीन देशों के अवैध प्रवासियों को नागरिकता की पात्रता प्रदान करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव रखता है।

बिल भारत की विदेशी नागरिकता वाले कार्डहोल्डरों से संबंधित प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित करता है। एक विदेशी 1955 के एक्ट के तहत ओसीआई के रूप में पंजीकरण करा सकता है, अगर वह भारतीय मूल का है (जैसे भारत के पूर्व नागरिक या उनके वंशज) या भारतीय मूल के किसी व्यक्ति के स्पाउस (पति या पत्नी) है। इससे वे भारत आने और यहां काम करने एवं अध्ययन करने जैसे लाभों को प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाएंगे। बिल एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखता है जिसके तहत अगर ओसीआई कार्डहोल्डर देश के किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

प्रमुख विशेषताएं

अवैध प्रवासियों की परिभाषा

- नागरिकता एक्ट, 1955 अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता हासिल करने से प्रतिबंधित करता है। बिल एक्ट में यह संशोधन करता है कि निम्नलिखित अल्पसंख्यक समूहों के साथ अवैध प्रवासियों के तौर पर व्यवहार नहीं किया जाएगा : अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। लेकिन यह लाभ प्रदान करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा विदेशी एक्ट, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) एक्ट, 1920 से भी छूट देनी होगी।

देशीयकरण द्वारा नागरिकता

- 1955 का एक्ट कुछ शर्तों (क्वालिफिकेशन) को पूरा करने वाले किसी व्यक्ति को देशीयकरण द्वारा नागरिकता का आवेदन करने की अनुमति देता है। इनमें से एक शर्त यह है कि वह व्यक्ति नागरिकता का आवेदन करने से पहले एक निश्चित समयावधि के लिए भारत में रह रहा हो या केंद्र सरकार की नौकरी कर रहा हो : (i) नागरिकता के लिए आवेदन करने से 12 महीने पहले से भारत में रह रहा हो, और (ii) 12 महीने से पहले 14 वर्षों में से 11 वर्ष उसने भारत में बिताए हों। उन्हीं छह धर्मों और तीन देशों के व्यक्तियों के लिए बिल 11 वर्षों की शर्त को छह वर्ष करता है।

ओसीआई वाले कार्डहोल्डरों का पंजीकरण रद्द

- 1955 का एक्ट कहता है कि केंद्र सरकार कुछ आधारों पर ओसीआई के पंजीकरण को रद्द कर सकती है जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं : (i) अगर ओसीआई ने धोखाधड़ी के जरिये पंजीकरण कराया हो, या (ii) अगर पंजीकरण कराने से पांच वर्ष के बीच में, उसे दो वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा सुनाई गई हो। बिल पंजीकरण रद्द करने के लिए एक और आधार जोड़ता है, वह यह कि अगर ओसीआई ने देश के किसी कानून का उल्लंघन किया हो।

भाग ख: प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

क्या धर्म के आधार पर अंतर करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है

एक्ट: सेक्शन 2(1)(बी)
बिल: क्लॉज 2

बिल कहता है कि एक्ट के तहत जो अवैध प्रवासी अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के हैं, उनके साथ अवैध प्रवासियों के तौर पर व्यवहार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार वे भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हो जाते हैं। ये अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं। इसका अर्थ है कि इन देशों के वे अवैध प्रवासी, जो मुसलिम हैं, जो ऊपर दिए गए समूहों के सदस्य नहीं हैं (जैसे यहूदी) या जो नास्तिक खुद को किसी धार्मिक समूह का हिस्सा नहीं मानते, नागरिकता के लिए पात्र नहीं हैं। प्रश्न यह है कि क्या यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है क्योंकि यह अवैध प्रवासियों के बीच उनके धर्म के आधार पर अंतर करता है।

अनुच्छेद 14 व्यक्तियों, नागरिकों और विदेशियों को समानता की गारंटी देता है। यह कानून को व्यक्ति समूहों के बीच अंतर करने की अनुमति देता है जब किसी उपयुक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसा करना तार्किक हो।[3] बिल के उद्देश्यों व कारणों के वक्तव्य में धर्म के आधार पर अवैध अप्रवासियों के बीच अंतर करने के पीछे के तर्क को स्पष्ट नहीं किया गया है।

ओसीआई पंजीकरण रद्द करने के लिए विस्तृत आधार

एक्ट: सेक्शन 7डी
*बिल:*क्लॉज 3

1955 के एक्ट के तहत ओसीआई वाले कार्डहोल्डर का पंजीकरण रद्द हो सकता है, अगर वह किसी कानून का उल्लंघन करता है जिसके लिए उसे (i) दो वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई गई हो, और (ii) यह सजा पंजीकरण से पांच वर्ष के बीच में सुनाई गई हो। बिल ओसीआई पंजीकरण रद्द करने के लिए एक आधार और जोड़ता है जोकि ओसीआई द्वारा देश के किसी भी कानून का उल्लंघन करना है। इसका अर्थ यह है कि इस बिल के अंतर्गत ऐसे अपराध भी शामिल हो सकते हैं जिनके लिए कम दंड का प्रावधान है या जो पंजीकरण के पांच वर्ष के बाद किए गए हैं। इस प्रकार पूर्व प्रावधान व्यर्थ हो जाएगा।

यह प्रावधान केंद्र सरकार के विवेकाधिकार का दायरा बढ़ाता है। सरकार अब किसी भी कानून का उल्लंघन किए जाने पर ओसीआई पंजीकरण को रद्द कर सकती है। इसमें गंभीर अपराध जैसे हत्या और मामूली अपराध जैसे ट्रैफिक कानून का उल्लंघन भी शामिल होंगे (जैसे नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करना या लाल बत्ती पार करना)। प्रश्न यह है कि क्या मामूली उल्लंघनों के कारण ओसीआई पंजीकरण रद्द होना चाहिए जिसके तहत किसी ओसीआई को, जो भारत में रह रहा है, देश छोड़कर जाना पड़ सकता है।

1. Section 2(1)(b) of the Citizenship Act, 1955.
2. G.S.R. 685 (E) and G.S.R. 686 (E), Gazette of India, September 7, 2015; G.S.R. 702(E) and G.S.R. 703(E), Gazette of India, July 18, 2016.
3. State of West Bengal vs Anwar Ali Sarkar, AIR 1952 SC 75.

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च ("पीआरएस") की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।